(8)

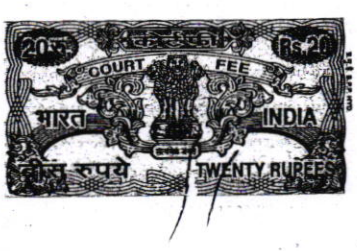

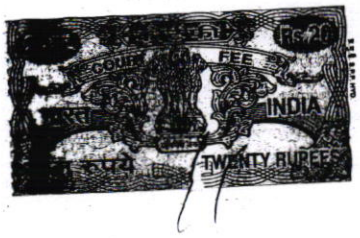

प्रार्थी ... श्री नवीन कुमार
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ...13/6/18
अधीक्षक 13/6/18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

पुनरीक्षण प्रकरण क्रंमाक /2018
प्रस्तुत दिनांक 13 .06.2018

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)
निगरानी-3847/2018/रतलाम/भू.रा. केम्प उज्जैन

भुवानसिंह पिता रामसिंह राजपुत,
आयु-62 वर्ष करीब, धंधा-कृषि
निवासी- ग्राम खीमाखेड़ी तह. जावरा व जिला रतलाम......**पुनरीक्षणकर्ता/याचिकाकर्ता**

वि रू द्ध

501
13/6/18

उषा कुमारी राठोर पति भानुप्रतापसिंह राठोर,
आयु- 58 वर्ष करीब, धंधा-गृहकार्य,
निवासी-135 सी, सांईनाथ कालोनी,
तिलक नगर के पास इंदौर (म.प्र.) ....**प्रत्यर्थी**

//पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता//

अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार जावरा जिला रतलाम, द्वारा नामांतरण प्रकरण क्रंमाक 0068/अ-6/2016-17 मे पारित आलौच्य आदेश दिनांक 07.04.2018 एनेक्सर ए-1 के विरूद्ध एवं अपनाई गई दुषित प्रक्रिया एवं अवैधानिकता ओर औचित्य के मामले मे पुनरीक्षण याचिका पेश।

मान्यवर महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता/याचिकाकर्ता की ओर से प्रत्यर्थी के विरूद्ध निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका पेश कर निवेदन है कि:-

निरन्तर....02

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3847/2018/रतलाम/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आपत्तिकर्ता द्वारा 15.01.95 का इकरारनामा प्रस्तुत कर धारा 33 के तहत कलेक्टर टू स्टाम्प को प्रेषित किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज लम्बी अवधि पश्चात पेश किए जाने से उचित न मानते हुए एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 सम्यक रूप से स्टाम्पित न की गई लिखते साक्ष्य, आदि में अग्राह्य है - लेख करते हुए आपत्तिकर्ता का धारा 33 का आवेदन निरस्त किया एवं प्रकरण उभयपक्ष प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित प्रतीत होती है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	